पंजीकृत डाक द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–4/2007/12 रायपुर, दिनांक 10 जुलाई, 2013

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
सोनाखान भवन,
रायपुर(छत्तीसगढ़)

विषय :– जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा बाबत्–मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड।

संदर्भ :– आपका खनिपट्टा आवेदन दिनांक 07.04.2006.

––0––

जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 7.4.2006 प्रस्तुत किया गया है।

2/ उक्त के परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–5(1) के तहत जिला सरगुजा, तहसील सीतापुर, ग्राम पथरई के उपलब्ध रकबा 99.350 हेक्टर क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2009 द्वारा पूर्वानुमोदन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उपलब्ध क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

भूमि का विवरण						
क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	Toposheet No. 64 N/5		
				Point	Longitude	Latitude
1.	15/6	18.135	छोटे झाड़ का जंगल	A	N 22°48'1.5"	E 83°15'27.4"
2.	16/19	5.553 → 5.523		B	N 22°47'50.9"	E 83°15'33.8"
3.	95/4क	28.585		C	N 22°47'25.3"	E 83°15'37.4"
4.	95/10	1.011		D	N 22°47'34.1"	E 83°15'7.2"
5.	95/13	0.283		E	N 22°47'42.5"	E 83°15'6.9"
6.	96/3	39.766		F	N 22°47'35.8"	E 83°15'29.3"
7.	96/6	0.821		G	N 22°47'44.6"	E 83°15'26.6"
8.	96/7	2.245		H	N 22°47'41.4"	E 83°15'25.1"
9.	96/8 क	1.619		I	N 22°47'53.8"	E 83°15'15.8"
10.	96/9	0.405				
11.	96/10	0.094				
12.	96/11	0.853				
योग		99.350				

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4/18/2010–खान–IV, दिनांक 07.03.2013 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 की धारा–5(1) के तहत सशर्त पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया :–

"M/s Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC) Limited shall not enter into any joint venture with a private company for exploration/operating this lease."

----------2

प्र. सं. / सी. एम. डी. सी.
आवक क्र. 237...... दिनांक 16/7/13

E:\MRD Nimje\Surguja\3-3-2007 pathrai.doc(Nimje)

72

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र दिनांक 11.04.2013 द्वारा आपको लेख किया गया, जिसके अनुसरण में सीएमडीसी के एम0डी0 ने पत्र दिनांक 01.05.2013 द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

4/ उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र/राजस्व वन भूमि(छोटे झाड़ का जंगल) होने से इसके लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्राप्त की जानी होगी, जिसके लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ अनुमोदित मायनिंग प्लान भी संलग्न किया जाना होगा।

5/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु मायनिंग प्लान तैयार कराये जाने के लिए जारी की जा रही इस अनुमति से उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार कपंनी को प्राप्त नहीं होगा। आवेदक यदि आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से आवश्यक अनुम्ति प्राप्त करने में असफल रहता है एवं इसके फलस्वरूप उसके द्वारा तैयार कराया गया माईनिंग प्लान निष्फल हो जाता है तो इसका कोई उत्तरदायित्व राज्य शासन पर नहीं होगा एवं इस संबंध में राज्य सरकार के विरूद्ध आवेदक का कोई दावा(क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा।

6/ यदि कार्पोरशन को उपर्युक्त शर्ते स्वीकार/मान्य हो तो भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर(महाराष्ट्र) से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराकर 06 माह की अवधि में प्रस्तुत करें। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी एन्वायरमेंट इम्पेक्ट नोटिफिकेशन दिनांक 14.9.2006 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय, ताकि उपर्युक्त क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मानचित्रः– संलग्न

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0 कमांक एफ 3–4/2007/12 रायपुर, दिनांक जुलाई, 2013

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. कंट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरों, 2nd फ्लोर, ए–ब्लाक, इदिरा भवन, सिविल लाईन नागपुर–440001(महाराष्ट्र)
2. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, 6th फ्लोर, ए ब्लाक, इदिरा भवन, सिविल लाईन नागपुर–440001(महाराष्ट्र)
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. मुख्य वन संरक्षण(भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़ रायपुर छत्तीसगढ़।
6. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, व्यवसायिक परिसर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन रिंग रोड़, रायपुर
8. कलेक्टर जिला सरगुजा(छत्तीसगढ़)
9. वनमंडलाधिकारी, वन मंडल सरगुजा
10. गार्ड फाईल रजिस्टर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग